राधिका झा I.A.S.
राज्य परियोजना निदेशक

"उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद"
राज्य परियोजना कार्यालय
ननूरखेड़ा(निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय)
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून(उत्तराखण्ड)
दूरभाष 0135– 2781941, 2781942, 2781943
Website: http://ssa.uk.gov.in
E-mail: spd-ssa-uk@nic.in

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– रा0प0नि0/ 487 /07ST /2014–15 दिनांक 23 जून, 2014

विषयः– **विशिष्ट प्रशिक्षण के अन्तर्गत पहुँच (विद्यालय स्थापना एवं संचालन) आवासीय तथा गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण, आवासीय छात्रावास एवं पहल नवाचारी कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने विषयक ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, आपके द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।**(संलग्नक 01 से 04)** इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के अनुपालन के क्रम में कोई भी बच्चा प्रारम्भिक शिक्षा से बंचित न रहे। इस हेतु आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण की सहायता से (6–14 वय वर्ग के) विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों का नामांकन पड़ोसी विद्यालय में करते हुए आयु संगत कक्षा में प्रवेश कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाय। विशिष्ट प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायः–

1. पहुँच– नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालनः–

आपके द्वारा प्रस्तावित समस्त 14 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के निर्माण पटल से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। कृपया उनका अध्ययन कर नियमानुसार उक्त 14 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

i. आपके द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 की भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसका आपके द्वारा अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिया गया होगा।

ii. नवीन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु जिला पंचायत की बैठक माह जुलाई, 2014 में आहूत कर ली जाय। आपके द्वारा भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र भी अपनी वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था। आपके द्वारा प्रस्तावित तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बस्तियों के स्थान पर ही

विद्यालयों की स्थापना की जाय, अन्य स्थानों पर उक्त विद्यालयों का निर्माण नहीं किया जाना है।

iii. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत 14 नवीन प्राथमिक विद्यालय की बस्तियों का कोई भी बच्चा प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित न रहने पायें। अतः नवीन प्राथमिक विद्यालयों का माह जुलाई से ही संचालन कर लिया जाय। जिन स्थानों/स्थल पर विद्यालयों का संचालन किया जायेगा उनकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाये।(विद्यालयों की जनपदवार सूची संलग्न)

iv. भारत सरकार द्वारा मात्र नवीन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार द्वारा टी.एल.ई. तथा अध्यापकों के नवीन पदो की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। अतः जनपद के स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के पदों से ही नवीन प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की व्यवस्था/पदस्थापना समीपस्थ विद्यालयों से की जाय, जिसकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित करें।

2. आवासीय तथा गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण

- आवासीय तथा गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा 9 माह की स्वीकृति प्राप्त हुई है, अतः आवासीय तथा गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन माह जुलाई से अनिवार्य रूप से विद्यालय परिसर में किया जाय।
- आवासीय तथा गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों/विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का फोटोयुक्त प्रोफाईल की स्पाइरल बांइडिंग बुकलेट के रूप में राज्य परियोजना कार्यालय को माह जुलाई मे उपलब्ध कराई जाय।
- विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाए।
- गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण मद हेतु स्वीकृत इकाई लागत ₹2675 प्रति बच्चा 09 माह तथा आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण मद हेतु स्वीकृत इकाई लागत ₹9050 प्रति बच्चा 09 माह के अन्तर्गत ही वित्तीय प्रावधान किये जाँय। विशिष्ट प्रशिक्षण, सेवित क्षेत्र के विद्यालयों में ही संचालित करवाया जाए साथ ही एस0एस0ए0 Frame work for Implementation (Base on the Right to Child to free and compulsery Educatin 2009) के अनुरूप कार्यवाही करें।(संलग्न)
- स्वीकृत सीमा तक ही सम्बन्धित मद में धनराशि उपभोग की जानी है, इसका विशेष ध्यान रखते हुए मदवार उपभोग प्रमाण पत्र भी यथा समय संकलित करवायी जाए।
- बच्चों की प्रगति व कठिनाइयों को चिन्हित कर सम्प्राप्ति स्तर उन्नयन हेतु समय–समय पर अभिभावकों से चर्चा की जाए। उक्त कार्यक्रम की योजना को राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित किया जाय।
- विशिष्ट प्रशिक्षण माड्यूल (सृजन भाग 1,2 व 3) का उपयोग विद्यालयों/केन्द्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु किया जाए।
- विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु गत वर्षों में दिये गये निर्देशों का संज्ञान भी अवश्य लिया जाए।विशिष्ट प्रशिक्षण के अन्तर्गत पंजीकृत बच्चों का मध्यावधि मूल्यांकन तथा विशिष प्रशिक्षणोपरान्त आंकलन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं एवं बी.आर.सी./

सी.आर.सी. (समन्वयक) तथा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा कराते हुए आयु आधारित कक्षाओं में विद्यालयों में नामांकित किया जाए। सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाय।

- जिन बच्चों हेतु आपके द्वारा परिवहन/एस्कार्ट सुविधा वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 प्रस्तावित की गयी थी। उक्त गतिविधि को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। अतः ऐसे सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोडने हेतु कार्ययोजना बनायें, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहने पाये। उक्त कार्ययोजना से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायें।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण संचालित करने वाले विद्यालयों/केन्द्रों का सप्ताहिक अनुश्रवण सी.आर.सी., बी.आर.सी. समन्वयक, खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी (बे0) द्वारा किया जाय, अनुश्रवण की आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाय।

3. आवासीय छात्रावास

- आवासीय छात्रावास हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014–15 में जनपद देहरादून के 50 बच्चों हेतु ₹20.185 एवं हरिद्वार 100 बच्चों हेतु ₹32.45 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व बच्चों की फोटो युक्त प्रोफाईल हार्ड (स्पाइरल बांइन्डिग बुकलेट के रूप में) तथा साफ्ट कापी में जिला परियोजना अधिकारी से हस्ताक्षरित कर एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को माह जुलाई मे उपलब्ध करायें।
- आवासीय छात्रावास को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय फेज 3 के अनुसार संचालित किया जाए। **इस हेतु रा.प. कार्यालय के पत्रांक रा.प.नि./42/KGBV/2014.15 दिनांक 10 अप्रैल, 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाय।**
- छात्रावास में शहरी अपवंचित वर्ग के बच्चे यथा अनाथ, घुमन्तू, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले एवं माता–पिता विहीन बच्चों को वरीयता दी जाये एवं बच्चों का नामांकन समीपस्थ प्रा0/उ0प्रा0वि0 में किया जाय।
- बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति हेतु सतत रूप से प्रयास किये जाये एवं बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।
- आवासीय छात्रावास में स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान दिया जाए एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए।
- बच्चों की सुरक्षा, पुस्तकों, यूनिफार्म, बिस्तर, फर्नीचर की उचित व्यवस्था कर ली जाय।
- आवासीय छात्रावास हेतु सामग्री क्रय करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर एस0एस0ए0 की वित्तीय प्रबन्धन एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाय।

4. पहल नवाचारी कार्यक्रम

- पहल नवाचारी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में कार्यक्रम का लाभ प्रदान करने हेतु यथाशीघ्र निजी विद्यालयों के साथ अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर लिया जाय।

- चिन्हांकित बच्चों की फोटोयुक्त प्रेाफाइल तीन प्रतियों में तैयार कर एक प्रति जि0प0का0, एक प्रति निजी विद्यालय एवं एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को जिला परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर अनिवार्य रूप से माह जुलाई मे उपलब्ध कराया जाय।
- पहल कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन बच्चों का नामांकन कदापि न किया जाय, आपके द्वारा वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित कक्षाओं के आधार पर ही बच्चों को पहल कार्यक्रम का लाभ दिया जाय। **(संलग्न वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्तावित कक्षावार छात्र संख्या)**
- वर्ष 2014—15 में स्वीकृत इकाई लागत ₹3000.00 प्रति बच्चा प्रति वर्ष की धनराशि के अनुसार व्यय किया जाय।
- निजी विद्यालयों को धनराशि का भुगतान एम0ओ0यू0 में उल्लिखित समयावधि के पश्चात ही तीन किश्तों मे किया जाय, साथ ही किश्तों के भुगतान में बच्चों की उपस्थिति एवं सम्प्राप्ति स्तर का भी ध्यान रखा जाय।
- कार्ययोजनानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शतप्रतिशत उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है।
- पहल कार्यक्रम से लाभान्वित बच्चों का नियमित अन्तराल पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किये जाँय। कार्यक्रम की प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को भी सूचित करें।

संलग्न—1. आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत जनपदवार बच्चों की संख्या एवं धनराशि का विवरण।
2. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की जनपदवार सूची।
3. शहरी अपवंचित वर्ग पहल नवाचारी कार्यक्रम की सूची।
4. पहल नवाचारी कार्यक्रम की कक्षावार छात्र संख्या।

भवदीय,

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादन।

पृ0सं0:— रा0प0नि0/ 487 /2014—15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि
1 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ।
2 समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समस्त (6—14) आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन विद्यालयों में किया जाय।
3 समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं से विशिष्ट प्रशिक्षण एवं पहल नवाचारी कार्यक्रम के बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन/आंकलन एवं अनुश्रवण हेतु निर्देशित करें।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादन।

संलग्नक–1

वर्ष 2014–15 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 14 नवीन प्राथमिक विद्यालयों के जनपदवार नामों की सूची

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड	संकुल का नाम	बस्ती का नाम
1	देहरादून	चकराता	बरौंथा	रंगेऊ
2		चकराता	भटाड	खेडा खादर
3		रायपुर	नागल	मोटीधार
4		सहसपुर	लक्ष्मीपुर	ईदगाह बस्ती
5		सहसपुर	सेलाकुई	शिवनगर
6	टिहरी	जौनपुर	मंझगांव	हवेली
7		प्रतापनगर	भेलुन्ता	राजू की सारी
8		नरेंद्रनगर	खरसाड़	चोपड़ीधार
9	पौड़ी	थैलीसैण	बूंगीधार	ग्वाल्थी,
10			बूंगीधार	चमाली,
11			बूंगीधार	काण्डई
12			कैन्यूर	मैरुवा
13			स्योली	भरतपुर
14	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	खालसी	छैणद

विशिष्ट प्रशिक्षण की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2014–15

Sl. NO.	Name of Distt.	RST		NRST Fresh+Cont.		Total Special Training	
		Month		Month		Phy. No of Children	Fin (Rs in lakh)
		9	@ 9050	9	@ 2675		
		Phy. (No of Children)	Fin (Rs in lakh)	Phy. (No of Children)	Fin (Rs in lakh)		
1	Almora	0	0	15	0.4	15	0.4
2	Champawat	0	0	122	3.26	122	3.26
3	Dehradun	40	3.62	895	23.94	935	27.56
4	Haridwar	0	0	228	6.1	228	6.1
5	Nainital	0	0	84	2.25	84	2.25
6	U.S. Nagar	0	0	700	18.73	700	18.73
TOTAL		**40**	**3.62**	**2044**	**54.68**	**2084**	**58.30**

संलग्नक–3

पहल कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकन वर्ष 2014–15				
क्र0 स0	जनपद	कुल सहभागी प्राईवेट विद्यालयो की संख्या	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय (लाख में)
1	देहरादून	8	453	13.59
2	हरिद्वार	2	190	5.70
3	नैनीताल	3	100	3.00
4	ऊधमसिंह नगर	7	465	13.95
	योग	**20**	**1208**	**36.24**

Unit Cost of Residential Hostel for 100 children वर्ष 2014-15 हरिद्वार

S.No	*Activity*	*Fresh*		
		Unit Cost	***Phy.***	***Fin. (₹in lac)***
2	**Residential Hostel for 50 children**			
	Recurring			
2.1	Maintenance per child per month @ Rs. 1500/- (for food)	18.0000	1	18.00
2.2	Stipend per child per month @ Rs.100/-	1.2000	1	1.20
2.3	**Salaries**			0.00
a	1 Warden @ Rs. 25000/- per month	3.0000	1	3.00
b	3 Part time teachers @ Rs. 5000/- per month per teacher	1.8000	1	1.80
c	1 Full time accountant @ Rs. 10000/- per month	1.2000	1	1.20
d	2 Support Staff-(Accountant/Assistant, Peon,Chowkidar) @ Rs. 5000/- per month per staff	1.2000	1	1.20
e	1 Head cook @ Rs. 6000/- per month and upto 2 Asstt. Cooks @ Rs. 4500/- per month per cook	1.8000	1	1.80
2.4	Electricity / water charges per girl @ 1000/- per annum	1.0000	1	1.00
2.5	Medical care/contingencies @ Rs.1250/- per child per annum	1.2500	1	1.25
2.6	Maintenance @ Rs.750/- per child per annum (for hostel)	0.7500	1	0.75
2.7	Miscellaneous @ Rs.750/- per child per annum (for toiletries, sportswear, sports equipment etc.)	0.7500	1	0.75
2.8	Capacity Building @ Rs.500/- per child per annum	0.5000	1	0.50

Unit Cost of Residential Hostel for 50 children

२५२१३१

वर्ष 2014-15

S.No	Activity	Fresh		
		Unit Cost	Phy.	Fin. (₹in lac)
1	***Residential Hostel for 50 children***			
	Recurring			
1.1	Maintenance per child per month @ Rs. 1500/- (for food) 1	*9.0000*	*1*	*9.00*
1.2	Stipend per child per month @ Rs.100/-	*0.6000*	*1*	*0.60*
1.3	**Salaries**			
a	1 Warden @ Rs. 25000/- per month	*3.0000*	*1*	*3.00*
b	3 Part time teachers @ Rs. 5000/- per month per teacher	*1.8000*	*1*	*1.80*
c	1 Full time accountant @ Rs. 10000/- per month	*1.2000*	*1*	*1.20*
d	2 Support Staff-(Accountant/Assistant, Peon,Chowkidar) @ Rs. 5000/- per month per staff	*1.2000*	*1*	*1.20*
e	1 Head cook @ Rs. 6000/- per month and upto 1Asstt. Cook @ Rs. 4500/- per month per cook	*1.2600*	*1*	*1.26*
1.4	Electricity / water charges per child@ 1000/- per annum	*0.5000*	*1*	*0.50*
1.5	Medical care/contingencies @ Rs.1250/- per child per annum	*0.6250*	*1*	*0.625*
1.6	Maintenance @ Rs.750/- per child per annum (for hostel)	*0.3750*	*1*	*0.375*
1.7	Miscellaneous @ Rs.750/- per child per annum (for toiletries, sportswear, sports equipment etc.)	*0.3750*	*1*	*0.375*